न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री सी0आर0मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2023/97 /जिला–नागौर

1. रामकन्या पत्नी रामावतार
2. ओमप्रकाश पुत्र शंकरलाल
   जरिये मुख्त्याआम रामावतार पुत्र शंकरलाल जाति अग्रवाल निवासी मीठडी तहसील नांवा हाल निवासी 8/313 विद्यानगर, जयपुर जिला जयपुर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांवा जिला नागौर।

––––प्रत्यर्थी

–––

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर नागौर दिनांक 9–5–2022 एवं 12–10–2022जो
उनके द्वारा पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र संख्या 56/2022

उपस्थित– 1. श्री गोविन्द शर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांकः– 11–10–2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा मीठडी के खसरा नम्बर 234 व 72 की भूमि निजी खातेदारी की आराजी थी जो जिला कलक्टर नागौर के आदेश संख्या प.12(5)राज/81 दिनांक 12–11–1981 के द्वारा मैसर्स गोपाल मिनरल्स इंजीनियरिंग कम्पनी मीठडी प्रो0 सीताराम पुत्र भैरूबक्श शर्मा निवासी मीठडी के आवेदन पर उक्त भूमि में से 40,000 वर्गफीट भूमि रूपान्तरित की गई थी जिसकी लीज डीड दिनांक 12–11–1981 को जारी की गई। राजस्थान वित निगम मकराना द्वारा मैसर्स गोपाल मिनरल्स इंजीनियरिंग कम्पनी मीठडी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 234 व 72 की भूमि कुर्क कर निलामी में मैसर्स श्याम इंजीनियरिंग वर्क्स मीठडी के नाम एग्रीमेन्ट टू सेल दिनांक 6–4–1996 को पंजीयन किये जाने पर जिला कलक्टर नागौर के आदेश संख्या प.12(57)राज/96/2952 दिनांक 25–5–1996 के अन्तर्गत उक्त भूमि संपरिवर्तित भूमि के लीज डीड होल्डर राइट्स में श्याम इंजीनियरिंग वर्क्स मीठडी की भागीदारी श्री श्यामसुन्दर पुत्र श्री मदनललाल सोमानी व श्रीमती रामकन्या पत्नी रामप्रसाद अग्रवाल निवासी मीठडी के

पक्ष में हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की गई उक्त औद्योगिक संपरिवर्तित भूमि पर श्याम इंजीनियरिंग वर्क्स मीठडी द्वारा निरन्तर निर्बाध रूप से उद्योग का संचालन बिना किसी रूकावट के किया जाता रहा हाल ही में नन्दकिशोर गौड निवासी मीठडी द्वारा दिनांक 22–7–2021 को एक फर्जी शिकायत प्रस्तुत की गई उक्त शिकायत के आधार पर जिला कलक्टर नागौर द्वारा श्याम इंजीनियरिंग वर्क्स के समस्त भागीदारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना आक्षेपित आदेश दिनांक 9–5–2022 द्वारा लीज की शर्तो का उल्लंघन होना मानते हुए संपरिवर्तन आदेश को निरस्त कर प्रत्यर्थी संख्या 1 को उक्त भूमि का कब्जा बहक सरकार लेने के साथ ही राजस्व रकार्ड में उक्त आराजी राजकीय भूमि के रूप में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध जिला कलक्टर नागौर के समक्ष पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु उस पर भी गौर किये बिना जिला कलक्टर नागौर द्वारा आदेश दिनांक 12–10–2022 के द्वारा पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र खारिज कर पूर्ववर्ती मूल आदेश दिनांक 9–5–2022 को यथावत रखे जाने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 पर कथन किया है कि जिला कलक्टर नागौर द्वारा एक फर्जी शिकायत के आधार पर बिना प्रार्थीगण को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये नोटिस को गलत ढंग से चस्पांगी करवाते हुए कि श्याम इंजीनियरिंग के भागीदारों द्वारा लीज शर्तो की अवहेलना का संपति का अन्यथा उपयोग किया जा रहा है। प्रार्थीगण की लीज निरस्त कर भूमि राजकीय दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जबकि अपीलार्थीगण द्वारा कभी भी लीज की शर्तो का उल्लंघन नहीं किया गया। चूंकि जिला कलक्टर द्वारा अपीलार्थीगण को बिना सुने आदेश दिनांक 9–5–2022 पारित किया गया है जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं हो सकी। तत्पश्चात उक्त आदेश की जानकारी होने पर जिला कलक्टर के समक्ष पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12–10–2022 को खारिज कर दिया। अपीलार्थी द्वारा जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी संख्या–1 के विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के

प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थीगण अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि विवादित आराजियात को सर्वप्रथम मैसर्स गोपाल इंजीनियरिंग कंपनी मीठडी प्रो0 सीताराम पुत्र श्री भैरूबक्श के आवेदन पर रूपान्तरित किया गया जिसकी लीजडीड दिनांक 12–11–1981 को जारी की गई तत्पश्चात राजस्थान वित निगम मकराना द्वारा उक्त आराजी को कुर्क कर निलामी में मैसर्स श्याम इंजीनियरिंग वक्स मीठडी को बेचान किया गया जिसका पंजीयन दिनांक 6–4–1996 को किया गया साथ ही जिला कलक्टर नागौर के आदेश दिनांक 25–5–1996 के द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1956 के नियम 09 के अन्तर्गत उक्त संपरिवर्तन भूमि के लीज होल्डर मैं श्याम इंजीनिरिंग वर्क्स मीठडी के पक्ष में हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की गई। जिला कलक्टर नागौर द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आक्षेपित आदेश दिनांक 9–5–2022 पारित किया तत्पश्चात पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र दिनांक 12–10–2022 के द्वारा खारिज कर मूल आदेश दिनांक 9–5–2022 को यथावत रखे जाने का आदेश पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि जिला कलक्टर नागौर ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर जब प्रकरण दर्ज किया तो श्री श्यामसुन्दर पुत्र मदनलाल सोमानी व अपीलार्थीगण संख्या 1 रामकन्या पत्नी रामावतार को अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 14–9–2021 को नोटिस जारी किया जिस पर रामकन्या का नोटिस इस रिपोर्ट के साथ लौटाया गया कि आसामी मौजूद नहीं मिला। गोपाल मिनरल्स इंजीनियरिंग कम्पनी मीठडी पर एक प्रति चस्पा की गई जबकि सर्वप्रथम तो चस्पांगी का कोर्ट द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया था इसके अतिरिक्त अपीलार्थी संख्या 1 रामकन्या को व्यक्तिगत रूप से कोई नोटिस ना तो जारी किया गया और ना ही तामील करवाया गया। जिला कलक्टर नागौर द्वारा उक्त शिकायत के आधार पर गोपालज मिनरल्स इंजीनियरिंग कंपनी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया जबकि गोपाल मिनरल्स इंजीनियरिंग कंपनी के हित तो उक्त सम्पत्ति में उसी दिन समाप्त हो गये थे जिस दिन उसे कुर्क करने पर निलामी में मैसर्स श्याम इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा सन् 1965 को उक्त सम्पत्ति खरीद कर ली थी। ऐसी स्थिति में गोपाल मिनरल्स कंम्पनी पर नोटिस चस्पानगी का कोई औचित्य नहीं था। व्यथित पक्षकार अपीलार्थीगण थे तो उन्हें विधिवत तामीली नहीं करवाई जाकर सरसरी तौर पर आक्षेपित आदेश पारित कर दिया जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि जिला कलक्टर नागौर ने मैसर्स श्याम इंजीनियरिंग वर्क्स के वर्तमान में भागीदार रामकन्या व अपीलार्थी संखया 2 ओमप्रकाश अग्रवाल है किन्तु जिला कलक्टर नागौर ने इन दोनों को ना तो पक्षकार

बनाया और ना ही कोई नोटिस जारी किया । जबकि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए केवल फर्जी शिकायत के आधार पर आक्षेपित आदेश पारित कर दिया। जिला कलक्टर नागौर द्वारा इस आधार पर अपीलार्थीगण की लीज को निरस्त करने का आदेश पारित किया कि जिस उद्देश्य के लिए लीज जारी की गई थी उस बाबत कोई कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि सम्पत्ति अन्यथा उपयोग में ली जा रही है। उक्त स्थिति को स्पष्ट कराने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को मौके की जांच करवाई जानी चाहिए थी। मात्र शिकायतकर्ता के काल्पनिक आधारों पर अपीलार्थीगण के पक्ष में जारी लीज आदेश को निरस्त कर विवादित भूमि का कब्जा लेकर राजकीय दर्ज करने के आक्षेपित आदेश पारित कर दिये जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि जिला कलक्टर द्वारा ओश दिनांक 9–5–2022 से लीज को निरस्त कर सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये है जबकि वास्तविकता यह है कि बरवक्त तामील श्री श्यामसुन्दर उक्त फर्म में भागीदार नहीं रहा था बल्कि प्रकरण में नोटिस जारी होने से पूर्व ही फर्म से रिटायर हो चुका था ऐसी स्थिति में उसकी फर्म में कोई हैसियत ही नहीं रही थी तो उसे एतराज करने का कोई अधिकार नहीं था। यदि अपीलार्थी संख्या 1 को नोटिस की विधिवत तामीली करवाई जाती तो समस्त तथ्यों से जिला कलक्टर को अवगत करा दिया जाता। जिला कलक्टर नागौर ने अपने आक्षेपित आदेश द्वारा मैसर्स श्याम इंजीनियरिंग वर्क्स के भागीदारों द्वारा लीज डीड की शर्तो का उल्लंघन किया इस आधार पर लीज डीड निरस्त की गई जबकि भागीदारों द्वारा कोई उल्लंघन ही नहीं किया गया। उक्त फर्म के मुनीम ओंकार सिंह पुत्र मूल सिंह निवासी मीठडी दिनांक 29–6–2020 को करीब 6 बजें ऑफिस के ताला लगाकर चाय पीने के लिए बाहर आने पर उन्हें तोडफोड की आवाजे आई जिस पर उनके द्वारा देखने पर गोपाल खाती, पुखराज खाती, नन्दकिशोर गौड, अटल गौड व दो अन्य व्यक्तियों द्वारा ऑफिस का ताला तोडने व मारने की कोशिश करने तथा अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर सामान चोरी करने का कृत्य कारित करने पर पुलिस थाना नांवा में एफआईआर संख्या 147 दिनांक 27–9–2020 पंजीबद्ध की गई जिस पर पुलिस थाना नांवा द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट नांवा में आरोप पत्र संख्या 113/11–11–2020 प्रस्तत किया जिसमें अटल बिहारी गौड़ व गोपाल लाल जागिड की विरूद्ध अपराध प्रमाणित माना। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर नागौर द्वारा फर्जी शिकायत के आधार पर यह मानते हुए कि लीज डीड की शर्तो की पालना नहीं कर सम्पत्ति को अन्यथा उपयोग में लेने के कारण लीज डीड निरस्त की जाती है कतई गलत है क्योंकि श्याम इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा कभी भी लीज डीड की शर्तो का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

उनका यह भी तर्क है कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 234 व 72 जिसके नये खसरा नम्बर 486 कायम कियेगये है उक्त भूमि के संबंध में गलत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने पर उपखण्ड अधिकारी नांवा के समक्ष प्रकरण संख्या 9/2019 व 181/2018 जिसमें खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये उक्त निर्णय डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है जिसमें विवादत आराजी के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित कर रखे है जो आज भी अस्तित्व में है। जिसके तहत उक्त आराजी राजकीय खाते में दर्ज नहीं की जा सकती थी परन्तु

जिला कलक्टर नागौर ने अपीलार्थीगण को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि जिला कलक्टर नागौर द्वारा मूल आदेश दिनांक 9–5–2022 पारित करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पूर्ण अवहेलना की है जबकि राजस्व मण्डल ने आर.आर.डी. 1984 पेज 111 में ओडी ऑल्ट्रम पाट्रम के सिद्धान्त को ध्यान में रखकर यह महत्वपूर्ण व्यवस्था दी थी कि प्रकरण में जिन पक्षकारान के हित निहित हो तो उन्हें सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए जबकि प्रस्तुत प्रकरण में जिन पक्षकारों का लेना देना ही नहीं था उनकी स्वीकृति को आधार बनालिया और पीडित पक्षकार जिनके हित निहित थे उन्हें ना तो पक्षकार बनाया और ना ही सुनवाई का अवसर प्रदान कर अपीलाधीन आदेश परित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–5–2022 एवं 12–10–2022 निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 तहसीलदार नांवा के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। अपीलार्थीगण को दिनांक 13–8–2021 की मौका रिपोर्ट एवं वर्तमान मौका रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में उक्त लीज भूमि पर आवंटी द्वारा औद्योगिक भूमि जिस उद्देश्य हेतु लीज जारी की गई थी जिसमें लीज की शर्तो की पालना नहीं की जाकर अन्य प्रयोजनार्थ अर्थात फर्नीचर कार्य हेतु उपयोग में ली जा रही थी। उक्त लीज भूमि पर बने टीन शेड को फर्नीचर बनाने हेतु किराये पर दे रखा था जिसमें मौके पर फर्नीचर बनाने का कच्चा व पक्का माल रखा पाया गया। अपीलार्थीगण द्वारा लीज शर्तो का उल्लंघन पाये जाने पर जिला कलक्टर नागौर द्वारा लीज डीड निरस्त कर राजहित में भूमि को लेने के आदेश तहसीलदार, नांवा को दिये है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि जिला कलक्टर नागौर द्वारा अपने आदेश दिनांक 9–5–2022 द्वारा औद्वोगिक लीजशुदा भूमि ग्राममीठडी तहसील नांवा के खसरा नम्बर 234, 72 वर्तमान जमाबंदी अनुसार खसरा नम्बर 1838/486 रबा 0.25 हैक्टर मैसर्स गोपाल मिनरल इंजीनियरिंग कम्पनी हिस्सा पूर्ण जात कम्पनी सा0 देह खातेदार के राजस्थान भूराजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आंवटन) नियम 1959 मे जारी पट्टे में उल्लेखित निर्बन्धनों और शर्तो का उल्लघन होने पर लीजशुदा भूमि राजहक में परिवर्तित करने के आदेश दिनांक 9–5–2022 को पारित किये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा जिला कलक्टर नागौर के समक्ष पुनरालोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 12–10–2022 द्वारा खारिज कर 9–5–2022 के आदेश को यथावत रखा गया।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिला कलक्टर नागौर के आदेश संख्या प. 12(5)राज/81 दिनांक 12–11–1981 के द्वारा मैसर्स गोपाल मिनरल्स इंजीनियरिंग

कम्पनी मीठडी प्रो0 सीताराम पुत्र भैरूबक्श शर्मा निवासी मीठडी के आवेदन पर उक्त भूमि में से 40,000 वर्गफीट भूमि रूपान्तरित की गई थी जिसकी लीज डीड दिनांक 12–11–1981 को जारी की गई थी। राजस्थान वित निगम मकराना द्वारा मैसर्स गोपाल मिनरल्स इंजीनियरिंग कम्पनी मीठडी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 234 व 72 की भूमि कुर्क कर निलामी में मैसर्स श्याम इंजीनियरिंग वर्क्स मीठडी के नाम एग्रीमेन्ट टू सेल दिनांक 6–4–1996 को पंजीयन किये जाने पर जिला कलक्टर नागौर के आदेश संख्या प.12(57)राज/96/2952 दिनांक 25–5–1996 के अन्तर्गत उक्त भूमि संपरिवर्तित भूमि के लीज डीड होल्डर राइट्स में श्याम इंजीनियरिंग वर्क्स मीठडी की भागीदारी श्री श्यामसुन्दर पुत्र श्री मदनललाल सोमानी व श्रीमती रामकन्या पत्नी रामप्रसाद अग्रवाल निवासी मीठडी के पक्ष में हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की गई उक्त औद्योगिक संपरिवर्तित भूमि पर श्याम इंजीनियरिंग वर्क्स मीठडी द्वारा निरन्तर निर्बाध रूप से उद्योग का संचालन बिना किसी रूकावट के किया जाता रहा हाल ही में नन्दकिशोर गौड निवासी मीठडी द्वारा दिनांक 22–7–2021 को एक फर्जी शिकायत प्रस्तुत की गई उक्त शिकायत के आधार पर जिला कलक्टर नागौर द्वारा श्याम इंजीनियरिंग वर्क्स के समस्त भागीदारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना आक्षेपित आदेश दिनांक 9–5–2022 द्वारा लीज की शर्तो का उल्लंघन होना मानते हुए संपरिवर्तन आदेश को निरस्त कर प्रत्यर्थी संख्या 1 को उक्त भूमि का कब्जा बहक सरकार लेने के साथ ही राजस्व रकार्ड में उक्त आराजी राजकीय भूमि के रूप में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर जब प्रकरण दर्ज किया तो श्री श्यामसुन्दर पुत्र मदनलाल सोमानी व अपीलार्थीगण संख्या 1 रामकन्या पत्नी रामावतार को अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 14–9–2021 को नोटिस जारी किया जिस पर रामकन्या का नोटिस इस रिपोर्ट के साथ लौटाया गया कि आसामी मौजूद नहीं मिला। गोपाल मिनरल्स इंजीनियरिंग कम्पनी मीठडी पर एक प्रति चस्पा की गई जबकि सर्वप्रथम तो चस्पांगी का कोर्ट द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया था इसके अतिरिक्त अपीलार्थी संख्या 1 रामकन्या को व्यक्तिगत रूप से कोई नोटिस ना तो जारी किया गया और ना ही तामील करवाया गया। जिला कलक्टर नागौर द्वारा उक्त शिकायत के आधार पर गोपाल मिनरल्स इंजीनियरिंग कंपनी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया जबकि गोपाल मिनरल्स इंजीनियरिंग कंपनी के हित तो उक्त सम्पत्ति में उसी दिन समाप्त हो गये थे जिस दिन उसे कुर्क करने पर निलामी में मैसर्स श्याम इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा सन् 1965 को उक्त सम्पत्ति खरीद कर ली थी। ऐसी स्थिति में गोपाल मिनरल्स कंम्पनी पर नोटिस चस्पानगी का कोई औचित्य नहीं था। नियमों में प्रावधान है कि पक्षकार को विधिवत नोटिस तामील होने के पश्चात ही आदेश पारित किया जाना चाहिए। जिला कलक्टर नागौर ने मैसर्स श्याम इंजीनियरिंग वर्क्स के वर्तमान में भागीदार रामकन्या व अपीलार्थी संख्या 2 ओमप्रकाश अग्रवाल है किन्तु जिला कलक्टर नागौर ने इन दोनों को ना तो पक्षकार बनाया और ना ही कोई नोटिस जारी किया। जबकि अपीलार्थीगण व्यथित पक्षकार थे। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–5–2022 एवं 12–10–2022 त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 9–5–2022 एवं 12–10–2022 त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजियात नम्बर 234 व 72 जिसके नये खसरा नम्बर 486 की मौके की जांच तहसीलदार, नांवा से करवाकर अपीलार्थीगण को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 11–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी0आर0मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर